दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि.,

प्रधान कार्यालय– डीसी–1, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर ,टोंक रोड जयपुर

(आयोजना एवं विकास अनुभाग) **Phone : 0141-2744480 Fax:274031**

rscb.pd@rajasthan.gov.in

क्रमांक. आरएससीबी / आ0वि0. / बीमा / 2022-2023/ 4161   दिनांक :– 26-07-2022

प्रबन्ध निदेशक,
दि केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,
.... (समस्त)

विषयः– **वर्ष 2022–23 में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की कियान्विति बाबत।**

संदर्भः– **अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) का पत्र क्रमांक फा.() सविरा / बैंक–4 / बीमा / SJSBY/PAIS 2022 / पार्ट दिनांक 18.07.2022 एवं संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 14.07.2022**

महोदय,

विषयान्तर्गत अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) के संदर्भित पत्र दिनांक 18.07.2022 से राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शीर्ष बैंक एवं मै0 यूनिवर्सल सोम्पों जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी जयपुर के मध्य दिनांक 25.07.2022 को एग्रीमेंट (प्रति संलग्न) निष्पादित किया गया है। यद्यपि योजना के प्रावधान संलग्न एग्रीमेंट में स्पष्ट वर्णित है, तथापि मुख्य बिन्दु आपके तत्काल संदर्भ हेतु निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैः–

1 मै0 यूनिवर्सल सोम्पों जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी से राशि रूपये 291.50 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष (कर अतिरिक्त) अर्थात कुल राशि रूपये 343.97 (अक्षरे तीन सौ तयालीस रूपये एवं सत्यानवे पैसे मात्र) की प्रीमियम दर पर 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयुसीमा के कृषक सदस्यों का राशि रूपये 10.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होगा।

2 एग्रीमेंट दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिए निष्पादित किया गया है। अतः बीमा कम्पनी को दिनांक 31.03.2023 तक प्रीमियम राशि एग्रीमेंट में वर्णित प्रावधानुसार प्रेषित की जा सकेगी जिसके विरूद्ध बीमित सदस्य को आगामी 1 वर्ष तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी।

3 ऋणी सदस्य के खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती होते ही बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है। इसलिए प्रीमियम खाते से काटे जाने की तिथि से बीमा कवर उपलब्ध करवाए जाने के उद्वेश्य से प्रत्येक बैंक को योजना प्रारम्भ से ही अग्रिम जमा के रूप में बीमा कम्पनी के पास राशि रूपये 1,00,000 / – (एक लाख रूपये) अग्रिम जमा करवाने होंगे।

4 राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण का लाभ दिया जा रहा है अतः अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी का बीमा अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। पूर्वानुसार अमानतदारों, अन्य ऋणियों एवं स्टाफ सदस्यों इत्यादि का बीमा स्वैच्छिक होगा।

5 बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक सदस्य की सिस्टम जनरेटेड एक बीमा पोलिसी सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करवाई जायेगी जिसके वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक की होगी। सिस्टम जनरेटेड पोलिसी में पोलिसी नम्बर, बीमित का नाम, पता इत्यादि अंकित होंगे। पोलिसी के पिछले भाग पर दावे हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख होगा।

6 एग्रीमेंट अनुसार प्रत्येक बैंक से सप्ताह में एक बार ही बीमा प्रीमियम की राशि मय कृषकों की सूचना के बीमा कम्पनी को भिजवाई जानी है।

7 मै0 यूनिवर्सल सोम्पों जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, जयपुर द्वारा दी गई सहमति के अनुसार दावा निष्पादन हेतु आवश्यक दस्तावेज केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्केन कर भिजवाने पर बीमा कम्पनी द्वारा दावा निष्पादन प्रकिया प्रारम्भ कर दी जाएगी एवं भौतिक दस्तावेज बैंकों को डाक से भिजवाने होंगे।

8 बीमा कम्पनी से सभी बीमितों हेतु मास्टर पालिसी प्राप्त करना सुनिशिचत करावें।

9 एग्रीमेंट अनुसार बीमा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से नामित को किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अतः बैंक शाखा स्तर पर दावा प्रपत्र भरकर बीमा कम्पनी को भेजने से पूर्व नामित से बकाया ऋण राशि वसूल किये जाने हेतु डेबिट अथोरिटी/हस्ताक्षरित चैक प्राप्त कर लिये जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि दावा प्रपत्र में नामित के उसी खाते का विवरण अंकित किया जावे जो उसी बैंक शाखा में हो, ताकि दावा राशि प्राप्त होते ही बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। इस बिन्दु की कड़ाई से सुनिश्चितता हेतु शाखाओं को निर्देशित करावें।

10 वर्ष 2021–22 के अनुसार ही प्रीमियम राशि कृषकों के खाते से डेबिट कर आपकी बैंक के BGL में राज्य सहकारी बैंक स्तर से जमा दी जावेगी व कृषकों की सूचना भी पूर्वानुसार उपलब्ध करवायी जावेगी।

सभी ऋणी किसानों को शीघ्र बीमा सुरक्षा लाभ उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रीमियम राशि तथा कृषको का विवरण यथाशीघ्र बीमा कम्पनी को भिजवाये। कृपया एग्रीमेंट के प्रावधानों का आपके स्तर से भली भांति अध्ययन कर योजना की नियमानुसार क्रियान्विति सुनिश्चित करे।

भवदीय,

संलग्न : वर्णितानुरूप

(बृजेन्द्र राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक